न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/271
दायरा तिथि : 15.07.2024
आदेश तिथि : 06-11-2024
प्रार्थी :–

श्री दरगाराम पुत्र शेषाराम जाति चौधरी, निवासी भीटवाडा तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. श्री ओगड पुत्र टीकम
2. कस्तु पत्नि टिकम जाति मेघवाल, निवासी भीटवाडा तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 06-11-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 81/1 रकबा 1.0100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण/राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 54 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नंबर 53 रकबा 0.1000 हैक्टर व खसरा नंबर 51/1 रकबा 0.8100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/641 दिनांक 12.06.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि खसरा नंबर 81/1427 व 81/1 में आवागमन के लिए खसरा नंबर 53, 54 व 51/1 में से प्रस्तावित किये जा रहे रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा वर्तमान में आवागमन मौके पर मौजुद खसरा नंबर 53, 54 व 51/1 में से ही खसरा नंबर 81/427 प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक रास्ता उपलब्ध है लेकिन खसरा नंबर 54 की खातदेारी वाले खातेदार द्वारा रूकावट डाली जाती है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी पर ही है।
3. यह है कि मौके पर रास्ता प्रचलित है एवं इसी मार्ग से आवागमन होता है।
4. यह है कि ग्राम भीटवाडा में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	53	0.1000 हैक्टर	बारानी अव्वल	84x06=504 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	51/1	0.8100 हैक्टर	बारानी अव्वल	06x06=36 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	54	0.1100 हैक्टर	बारानी अव्वल	24x06=144 वर्गमीटर	1. ओगड पुत्र टिकम हि. 1/2 2. कस्तु पत्नि टिकम हि. 1/2 जातिगण मेघवाल सा. देह खातेदार

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार..............02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/271
अनवान दरगाराम बनाम ओगड वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

5. यह कि रास्ते में प्रस्तावित खसरा नंबर की डी.एल.सी. दर 2.51,258 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण,. ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

दोनों पक्षो के वकुलाय एंव पक्षकारों ने आपसी सहमति से दरगाराम की भूमि खसरा नंबर 81/1477 व 81/1 में जाने के लिये तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट में उल्लेखित खसरा नंबर 54 में से 144 वर्गमीटर भूमि का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रकट की। चूकि प्रार्थी व खसरा नंबर 54 के खातेदारान ओगडा पुत्र टीकम व कस्तु पत्नी टीकम जाति मेधववाल सा. देह खातेदारान द्वारा रास्ते बाबत सहमति प्रकट कर दी है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 81/1 रकबा 1.0100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण/राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 54 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नंबर 53 रकबा 0.1000 हैक्टर व खसरा नंबर 51/1 रकबा 0.8100 हैक्टर में से **684 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार/निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा, मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2.51,258 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
53	0.1000 हैक्टर	84X06=504 वर्गमीटर	26	13104X2=26208	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
51/1	0.8100 हैक्टर	06X06=36 वर्गमीटर	26	936X2=1872	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
54	0.1100 हैक्टर	24X06=144 वर्गमीटर	26	3744X2=7488	1. ओगड पुत्र टिकम हि. 1/2 2. कस्तु पत्नि टिकम हि. 1/2 जातिगण मेघवाल सा. देह खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 35,568/– (अक्षरे पैंतीस हजार पांच सौ अडसठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. मौखमपुरा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/271

अनवान दरगाराम बनाम ओगड वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रमॉक/कोर्ट/2024/ 2265-2269 दिनांक : 08-11-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1.तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।

2.निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा

3.पटवारी हल्का, भीटवाडा

4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली

5.आवेदक श्री दरगाराम पुत्र शेषाराम जाति चौधरी, निवासी भीटवाडा तहसील बाली, जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

नकल नक्शा ट्रेस
ग्राम - चीखला
तह. बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

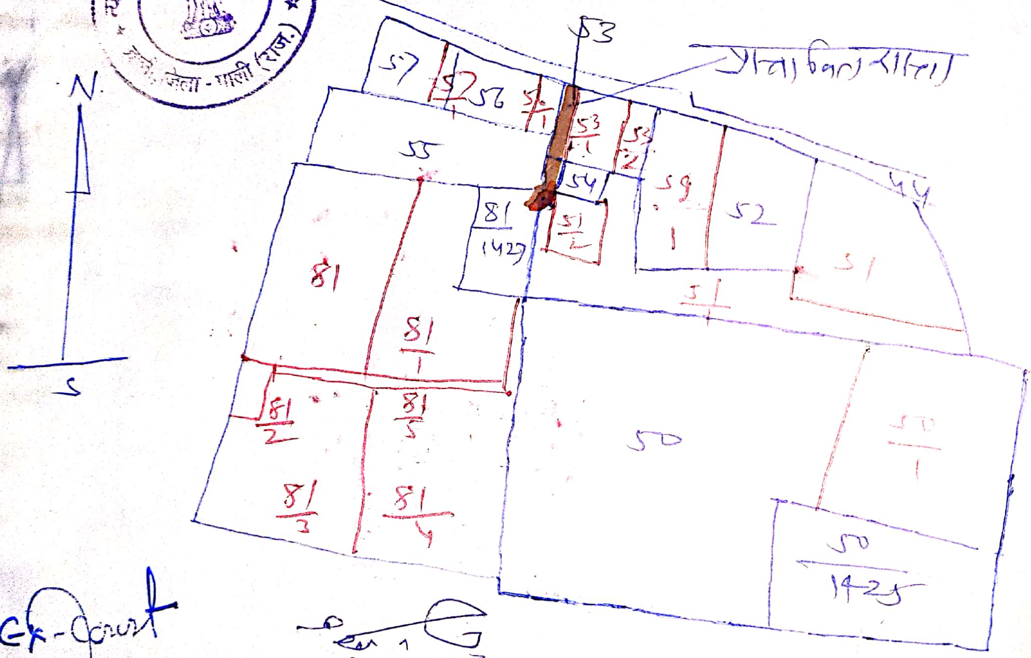

▮ प्रस्तावित रास्ता

Ex-Court

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

I.L.R. मोखमपुरा

तहसीलदार,बाली

पं० चीखला
17/5/25

Scanned with CamScanner